

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(308)लेखा/ डीएलबी/14 एफ.सी/15/19 5 31

दिनांक :- 21-02-17

संयुक्त सचिव,

शहरी विकास मंत्रालय,

एलएसजी अनुभाग-202, सी-विंग,

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

विषय:- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में Third Party Audit Mechanism के बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र दिनांक 12.09.2016 एवं D.O.No.-11025/20/2016-LSG Dated 19th January, 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में नगरीय निकायो में Third Party Audit Mechanism की व्यवस्था लागू करते हुये मार्च 2017 तक सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

राजस्थान राज्य की समस्त नगरीय निकायो के वार्षिक लेखों का संधारण एवं अंकेक्षण का कार्य उपार्जन आधारित दौहरा लेखा पद्धति के आधार पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट के माध्यम से कराया जा रहा है। जो कि मंत्रालय के पत्र दिनांक 19.01.2017 के अनुसार Third Party Audit Mechanism के रूप में माना गया है। यह व्यवस्था नगरीय निकायो आयोग की अवार्ड अवधि में पूर्णतः लागू रहेगी।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(308)लेखा/ डीएलबी/14 एफ.सी/15/19 5 32-7

दिनांक :- 21-02-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
05. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/ (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
06. निदेशक, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, ब्लॉक नं0 XI, 5 मंजिल लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003
07. संयुक्त सचिव, वित्त (EAD) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
08. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर /अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
10. समस्त आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
11. प्रभारी Municipal Finance Reforms Cell (MFR), निदेशालय।
12. प्रभारी अधिकारी, वेब साइट/समन्वयक सीएमएआर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राम पवार)
मुख्य लेखाधिकारी